



## GST रटिर्न में उत्तर प्रदेश सबसे आगे

### चर्चा में क्यों?

**वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (Goods and Services Tax Network- GSTN)** के अनुसार, उत्तर प्रदेश, तमलिनाडु और महाराष्ट्र मासिक रूप से **वस्तु एवं सेवा कर (GST)** रटिर्न में अग्रणी हैं, जो उनकी आर्थिक क्षमता को दर्शाता है।

- GST एक मूल्य वर्द्धति कर है जो घरेलू उपभोग के लिये बेची जाने वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है।

### मुख्य बढि:

- अप्रैल 2024 में देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य **उत्तर प्रदेश** ने अपने मासिक लेन-देन (GSTR-3B के रूप में) का सारांश देते हुए **908,900** से अधिक GST रटिर्न की सूचना दी।
  - औद्योगिक तमलिनाडु ने **880,200** से अधिक GST रटिर्न दाखल किये।
  - महाराष्ट्र **798,600** से अधिक GST रटिर्न के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
- मासिक रटिर्न दाखल करने से राज्य में व्यावसायिक गतिविधि, अनुपालन स्तर, राजस्व क्षमता, कर प्रशासन दक्षता और वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग प्रतबिबिति होती है।

### वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN)

- GSTN भारत में GST के लिये एक अप्रत्यक्ष कराधान मंच प्रदान करता है।
- यह प्लेटफॉर्म करदाताओं को रटिर्न दाखल करने, भुगतान करने और अप्रत्यक्ष कर नियमों का अनुपालन करने में मदद करता है।
- यह केंद्र और राज्य सरकारों, करदाताओं तथा अन्य हतिधारकों को सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढाँचा एवं सेवाएँ प्रदान करता है।
- GSTN एक सरकारी स्वामित्व और सीमति देनदारी वाली गैर-लाभकारी कंपनी है। इसे वर्ष 2013 में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत शामिल किया गया था।
- इसमें एक अध्यक्ष होता है जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।
  - GSTN बोर्ड ने जून 2022 में आयोजित अपनी 49वीं बोर्ड बैठक में इसे सरकारी कंपनी में बदलने की मंजूरी दी, अतः इसमें 100% हस्सेदारी सरकार (50% केंद्र सरकार के साथ और 50% राज्य सरकारों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के साथ संयुक्त रूप से) के पास होगी।